# उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

संख्याः उ0प्र0वि0नि0आ0 / सचिव / विनियमावली / 05–249

लखनऊ, दिनांक, 7 जून, 2005

## अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–181 तथा इस निमित्त समर्थकारी समस्त अन्य उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित नियमावली बनाता है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और उद्देश्यः–**

(एक) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मुक्त उपगम हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियमावली, 2004 कही जाएगी।

(दो) यह विनियमावली सरकारी गजट में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएः–**

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या–26, सन् 2003) से है।

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य – उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है।

(ग) ''मुक्त उपगम'' (ओपन एक्सेस) का तात्पर्य, इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में ऊर्जा उत्पादन में संलग्न किसी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा पारेषण लाईनों (ट्रांसमिशन लाइनों) या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली के साथ जुड़ी हुई सुविधाओं के उपयोग के लिये भेद रहित उपगम (पहुँच) के प्रावधान से है;

(घ) ''नोडल अभिकरण'' का तात्पर्य पारेषण या वितरण प्रणाली हेतु विभेद रहित मुक्त उपगम की व्यवस्था करने के लिये इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण से है;

(पारेषण या वितरण प्रणाली या दोनों में) दीर्घकालिक या अल्पकालिक मुक्त उपगम के लिये क्रमशः राज्य पारेषण सेवा (स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी) तथा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर नोडल अभिकरण होंगे।

(ड.) ''मुक्त उपगम उपभोक्ता'' का तात्पर्य राज्य में, विद्युत के पारेषण या व्हीलिंग (चक्रीय गमन/गति) के लिये राज्य में लाइसेंसधारियों की पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाले या उपयोग करने को इच्छुक व्यक्ति से है।

(च) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य से है;

(छ) ''शब्द'' और ''पद'', जो इस विनियमावली में आये हैं किंतु परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किये गए हैं।

## 3. प्रयोज्यता का विस्तारः–

यह विनियमावली, राज्य में लाइसेंसधारियों के राज्य आंतरिक पारेषण प्रणाली और / या वितरण प्रणालियों के उपयोग, जिसमें ऐसी प्रणाली का अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के संयोजन में उपयोग किया जाना भी सम्मिलित है, के लिये मुक्त उपगम पर लागू होगी।

## 4. मुक्त उपगम (पहुॅच) की अनुमन्यता के मानदण्डः–

सुसंगत प्रणाली में अतिरिक्त क्षमता, जो कि नोडल अभिकरण द्वारा अधोलिखित रूप से अवधारित की जाएगी, की उपलब्धता, मुक्त उपगम हेतु अनुमन्यता का मानदण्ड होगीः–

(एक) ग्रिड कोड में, पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या दोनों के लिये नियत नियोजन–मानदण्ड के अनुसरण में दीर्घ कालिक मुक्त उपगम अनुमन्य किया जाएगा;

नोडल अभिकरण द्वारा, पारेषण प्रणाली के नियोजन के प्रयोजनार्थ और उक्त प्रयोजनार्थ वितरण लाइसेंसी एवं अन्य पारेषण लाइसेंसी और विद्युत उत्पादन कंपनी या किसी अन्य स्रोत, जिनके द्वारा भी नियोजन हेतु ऐसी 'इकाई' स्थापित की जाएगी, से आवश्यक समन्वय के लिये एक 'इकाई' की स्थापना की जाएगी। ये 'इकाईयां' समन्वय कार्य के साथ, दीर्घ कालिक मुक्त उपगम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी जाने वाली सूचनाएं यथा, अपनी प्रणालियों लाइनों ट्रांसफारमरों की पारेषण क्षमता, कम से कम दो वर्षों के लिये प्रत्येक दिन हेतु प्रत्येक चार घंटे के एक खंड के लिये निकाले गए औसत भार वहन क्षमता, भविष्यकालिक विस्तारण योजनाएं तथा संबंधित संवर्धन क्षमता आदि, स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी को उपलब्ध करायेंगी। उपर्युक्त सभी सूचनाएं मुक्त उपगम उपभोक्ताओं के लिये वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। इस प्रकार सृजित इकाईयों को, दो महीनों के भीतर आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) समर्थन द्वारा सुसज्जित किया जाएगा। नोडल अभिकरण द्वारा सृजित 'इकाई' भी मुक्त उपगम हेतु आवेदनों के निस्तारण के लिये जिम्मेदार होगी। स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी तथा वितरण लाइसेंसी ऐसी इकाइयों की स्थापना को व्यापक प्रचार देंगे।

प्रतिबंध यह कि, विद्यमान दीर्घ कालिक मुक्त उपगम उपभोक्ता की कालावधि के समापन के पश्चात् क्षमता की उपलब्धता पर विचार तभी किया जाएगा जब कि अवशिष्ट 12 महीनों से कम हो और उसके नवीकरण के लिये कोई आवेदन प्राप्त न हुआ हो।

(दो) अल्पकालिक मुक्त उपगम की अनुमति दी जा सकती है यदि ऐसे उपगम (पहुॅच) के लिये किये गए निवेदन को निम्नलिखित के आधार पर स्वीकार किया जा सकता हैः–

(क) अंतर्निहित डिजाईन मार्जिन;
(ख) विद्युत बहाव (पावर फ्लो) में फेरबदल के कारण उपलब्ध मार्जिन।
(ग) भावी उत्पादन तथा भार वहन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये सृजित पारेषण एवं वितरण प्रणाली में अंतः निर्मित अतिरिक्त क्षमता के कारण उपलब्ध माजिन।

स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी तथा वितरण लाइसेंसियों और उत्पादन कंपनियों के समन्वय से नोडल अभिकरण अपनी वेब साईट पर मुक्त उपगम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी जाने वाली सूचनाएं यथा, प्रणाली लाइनों की पारेषण क्षमता, ट्रांसफारमर की पारेषण क्षमता, कम से कम दो वर्षों के लिये प्रत्येक दिन के प्रत्येक चार घंटे के एक खंड के लिये औसत भार वहन क्षमता, भविष्य कालिक विस्तारण योजनाएं तथा संबधित संवर्धन क्षमता आदि उपलब्ध करायेगा। नोडल अभिकरण, मुक्त उपगम हेतु आवेदनों के निस्तारण के लिये जिम्मेदार होगा।

## 5. मुक्त उपगम की पात्रता एवं शर्तेंः–

(एक) इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारीगण (लाइसेंसी), कैप्टिव उत्पादन (विद्युत जनन) संयंत्र स्थापित करने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए विद्युत जनन कंपनियां तथा उपभोक्तागण आयोग द्वारा यथा अवधारित पारेषण–प्रभार के भुगतान पर स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी या किसी पारेषण लाइसेंसी के राज्य आंतरिक पारेषण प्रणाली तक मुक्त उपगम (पहुॅच) के लिये पात्र होंगे।

परन्तु यह कि किसी उपभोक्ता के उपयोग के लिये ऐसा मुक्त उपगम, उसके द्वारा पारेषण प्रभारों भुगतान के अतिरिक्त, विनियम 14(2) तथा 24 के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा यथा अवधारित अधिभार (सरचार्ज) के भुगतान किये जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, कोई आवेदक मुक्त उपगम के संबंध में राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अधीन, इस विनियमावली के अधीन पारेषण प्रभार और उस पर अधिभार से संबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त नीति की कालावधि तक, मुक्त उपगम पाने के लिये हकदार होगा। तथापि ऐसी नीति के समापन के पश्चात् सभी मुक्त उपगम उपभोक्ता इस विनियमावली की शर्तों की अधीनता में होंगे।

(दो) इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्तिधारीगण, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित करने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए विद्युत जनन कंपनियां तथा उपभोक्तागण, आयोग द्वारा यथा अवधारित व्हीलिंग प्रभार के भुगतान करने पर वितरण लाइसेंसी के वितरण प्रणाली पर मुक्त उपगम पाने के लिये पात्र होंगे।

परन्तु यह कि किसी उपभोक्ता द्वारा उपयोग हेतु ऐसा मुक्त उपगम, व्हीलिंग प्रभार के भुगतान के अतिरिक्त विनियम 14(2), 14(3) तथा 24 के उपबंधों के अनुसरण में आयोग द्वारा यथा अवधारित अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार के भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

परन्तु तथापि, मुक्त उपगम के संबंध में राज्य सरकार की विद्यमान नीति के अधीन कोई आवेदक, इस विनियमावली के अधीन पारेषण प्रभारों और उस पर अधिभार संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्यमान नीति की अवधि के लिये मुक्त उपगम पाने का हकदार होगा। नीति की समाप्ति के पश्चात् सभी मुक्त उपगम ग्राहक इस विनियमावली की शर्तों के अधीन रहेंगे।

## 6. विद्यमान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिये उपबंधः–

(1) इस विनियमावली के प्रवर्तन में आने के दिनांक को किसी विद्यमान अनुबंध या व्यवस्था के अधीन राज्य में पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली से उपगम (पहुॅच) रखने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारीगण, विद्यमान अनबंध या व्यवस्था की कालावधि के लिये उन्हीं समान निबन्धनों और शर्तों पर आयोग द्वारा यथा अवधारित पारेषण प्रभारों तथा व्हीलिंग प्रभारों के भुगतान करने पर ऐसे पारेषण एवं वितरण प्रणाली से मुक्त उपगम निरंतर पाते रहने के लिये हकदार होंगे।

(2) इस विनियमावली के प्रवर्तन में आने के दिनांक से 60 दिनों के भीतर, विद्यमान अनुज्ञप्तिधारगणों द्वारा पारेषण प्रणाली और / या वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु किये गए अपने अनुबंधों तथा ऐसे उपयोगार्थ निबंधान और शर्तों के विवरणों को स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी तथा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर को प्रस्तुत करेंगे।

## 7. विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिये प्रावधान / उपबंधः–

(1) इस विनियमावली के प्रवर्तन में आने के दिनांक को विद्यमान अनुबंध या व्यवस्था के अधीन उपगम (पहुॅच) रखने वाले अनुज्ञप्तिधारीगणों से भिन्न वर्तमान विद्युत उत्पादन कंपनियां इस विनियमावली के प्रवर्तन में आने से 60 दिनों के भीतर स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी तथा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर को, क्षमता, इंजेक्शन का बिन्दु, आहरण का बिन्दु, अवधि, चरम भार (पीक लोड), औसत भार या ऐसी अन्य सूचना जो स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी या स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर द्वारा अपेक्षा की जाय, प्रस्तुत करेंगी।

(2) उप खंड (1) के अधीन विद्यमान विद्युत उत्पादन कंपनियां इस विनियमावली में अधिकथित निबंधनों और शर्तों पर मुक्त उपगम प्राप्त करती रह सकती हैं।

## 8. मुक्त उपगम उपभोक्ताओं का वर्गीकरणः–

विनियम 6 तथा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुक्त उपगम उपभोक्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः–

(एक) कोई मुक्त उपगम उपभोक्ता जो पांच वर्ष या अधिक की अवधि के लिये अंतः राज्यीय मुक्त उपगम प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का इच्छुक हो, दीर्घ कालिक अंतः राज्यीय मुक्त उपगम उपभोक्ता होगा।

(दो) अल्प कालिक ग्राहक :– कोई मुक्त उपगम ग्राहक जो एक वर्ष या उससे कम और न्यूनतम एक दिन तक के लिये अन्तःराज्यीय मुक्त उपगम प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने के इच्छुक हो, अल्प कालिक अंतःराज्यीय मुक्त उपगम ग्राहक कहलाऐगा।

9. <u>आवंटन–प्राथमिकता</u>:–

(1) ग्राहकों को मुक्त उपगम की अनुमति के लिये प्राथमिकता का विनिश्चय निम्नलिखित मानदण्ड पर किया जाएगाः–

(क) वर्तमान वितरण लाइसेंसी वर्तमान (विद्युत) जनन कंपनी तथा कैप्टिव पावर संयंत्रों को मुक्त उपगम की क्षमता की अनुमति देने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) वितरण लाइसेंसियों को अन्य ग्राहकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ग) दीर्घ कालिक मुक्त उपगम ग्राहकों को अल्प कालिक मुक्त उपगम ग्राहकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी किन्तु 9(क) एवं 9(ख) के अधीन आच्छादित लोगों के पश्चात्;

(घ) विद्यमान दीर्घकालिक मुक्त उपगम ग्राहक को अपनी अपनी श्रेणी के अधीन नए मुक्त उपगम ग्राहकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी, प्रतिबंध यह कि उसने मुक्त उपगम को वर्तमान अवधि के समापन से 12 माह पूर्व ही उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन किया हो।

(ड.) दीर्घ कालिक मुक्त उपगम के लिये किसी माह के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों को उस माह के अंत में प्रसंस्करण के लिये विचारित किया जाएगा। ऊपर के खंड (क) से (घ) के अधीन रहते हुए, दीर्घ कालिक एंव अल्प कालिक दोनों के लिये मुक्त उपगम की अनुमति का विनिश्चय प्रथम आगत–प्रथम स्वागत के आधार पर लिया जाएगा।

प्रतिबंध यह कि दीर्घ कालिक एवं अल्प कालिक मुक्त उपगम हेतु आवेदन उस अवधि के पूर्ववर्ती माह तक दाखिल कर दिये गए हों जिस अवधि में विनियम 11(5) एव 12(5) के अधीन ऐसे आवेदनों का निस्तारण किया जाना है। तथापि, विनियम 12(5) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अल्प कालिक मुक्त उपगम के मामले में

माह के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को बराबर से माना जाएगा और उसी समय के भीतर प्रसंस्कृत किया जाएगा।

परन्तु अग्रतर यह कि एक दिन तक के लिये मुक्त उपगम हेतु आवेदन 24 घंटे पहले ही दाखिल किया जाएगा और प्रथम–आगत प्रथम स्वागत के आधार पर उसका निर्णय किया जाएगा।

(2) अल्पावधिक उपगम के मामले में, यदि ग्राहकों द्वारा आरक्षण हेतु चाही गई क्षमता, उस समय पर की उपलब्ध क्षमता से अधिक है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगीः–

(क) स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, फैक्स / ई–मेल के माध्यम से आशु बोलियां (स्नैप बिड्स) आमंत्रित करेगा;

(ख) बोलियों के लिये आरंभिक कीमत (न्यूनतम कीमत) वह कीमत होगी जो विनियम 15(1) तथा 9(3) के अधीन अवधारित की जाएगी;

(ग) बोली लगाने वाले, आरंभिक कीमत के ऊपर प्रतिशत बिन्दुओं के रूप में अपनी कीमत उद्घृत करेंगें;

(घ) क्षमता का आरक्षण उद्घृत की गई कीमत के घटते क्रम में किया जाएगा;

(ड.) कीमत के बराबर बराबर होने की दशा में यदि अपेक्षित हो तो यथा अपेक्षित क्षमता के अनुपाती रूप से क्षमता का आरक्षण किया जा सकता है;

(च) किसी ग्राहकको उसके द्वारा चाही गई क्षमता से कम क्षमता का आरक्षण प्राप्त होने पर, उसके द्वारा उद्घृत प्रभारों (चार्जेस) का भुगतान करना होगा, और जिन ग्राहकों को उनके द्वारा चाही गई क्षमता के अनुरूप आरक्षण मिलता है, के ग्राहक क्षमता का आरक्षण पाने वाले अंतिम ग्राहक द्वारा उद्घृत प्रभारों के अनुसार भुगतान करेंगें;

(3) स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, बोली लगाने की विस्तृत प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए अल्प कालिक ग्राहकों को क्षमता का आरक्षण के लिये एक विस्तृत प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर तैयार करेगा।

10. **<u>नोडल अभिकरण</u>**:–

(1) सभी मामलों में दीर्घ कालिक मुक्त उपगम की व्यवस्था करने के लिये स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी, नोडल अभिकरण होगा चाहे उसकी प्रणाली का उपयोग हो या न हो, और उस प्रयोजनार्थ कोई विवरण लाइसेंसी और / या पारेषण लाइसेंसी जिसकी प्रणाली ऐसे दीर्घ कालिक मुक्त उपगम के साथ सम्बद्ध हो जाती है वह

एस0टी0यू0 के साथ समन्वय (ताल मेल) बैठाने के लिए जिम्मेदार होगा और वह समस्त ऐसी सूचनायें उपलब्ध करायेगा जो मुक्त उपगम दिये जाने हेतु निर्णय लेने के लिए आवश्यक हो।

(2) इसी प्रकार, अल्प कालिक मुक्त उपगम के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, नोडल अभिकरण होगा और ऐसे मामलों में यथास्थिति, एस0टी0यू0 और / या पारेषण लाइसेंसी और / या संबंधित वितरण लाइसेंसी एस0एल0डी0सी0 से समन्वय करने के लिये उत्तरदायी होगा और मुक्त उपगम कराने हेतु निर्णय लेने के लिये आवश्यक सभी सुसंगत सूचनायें उपलब्ध करायेगा।

11. <u>दीर्घ कालिक मुक्त उपगम ग्राहक हेतु प्रक्रिया</u>:–

(1) कोई दीर्घ कालिक मुक्त उपगम ऐसे विवरणों के साथ नोडल अभिकरण को आवेदन देगा, जैसे कि अपेक्षित क्षमता, नियोजित उत्पादन, या ऊर्जा क्रय संविदा, इन्जेक्शन का बिन्दु, आहरण का बिन्दु, मुक्त उपगम की अवधि, चरम भार (पीक लोड), औसत भार तथा कोई अन्य अतिरिक्त सूचना जो नोडल अभिकरण द्वारा मांगी जाय।

(2) कोई उपभोक्ता उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार मुक्त उपगम प्राप्त करने की इच्छा के साथ आयोग के पास जा सकता है यदि मुक्त उपगम के लिए प्रभार अवधारित न किया गया हो या नोडल अभिकरण के साथ कोई विवाद हो, और वह अपने आवेदन की एक प्रति उस वितरण लाइसेंसी को जो उसे विद्युत की आपूर्ति कर रहा है तथा स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी को भी उपलब्ध करायेगा;

(3) इस विनियमावली के निर्गत होने के 90 दिन के भीतर सुसंगत नोडल अभिकरण द्वारा दीर्घ कालिक तथा अल्प कालिक दोनों के लिए दिशा–निर्देश, प्रक्रियाएं तथा मुक्त उपगम प्राप्ति हेतु आवेदन करने के लिए आवेदन प्रपत्र विहित किया जाएगा;

(4) आवदेन पत्र के साथ, नोडल अभिकरण द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों में अधिकथित के नाम से देय और रीति में रूपये 50,000/– से 1 लाख की, या जैसा आयोग द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय, अप्रतिदेय फीस भी लगायी जाएगी;

(5) नोडल अभिकरण, स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, पारेषण तथा वितरण लाइसेंसियों के परामर्श से और संबंधित लाइसेंसियों द्वारा प्रणाली–अध्ययन (सिस्टम–स्टडीज़) कर या अन्यथा रूप से उपलब्ध क्षमता का निर्धारण करेगा और आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आवेदक को निर्णय संसूचित करेगा ;

(6) यदि नोडल अभिकरण की राय में, दीर्घ कालिक उपगम उपलब्ध कराने के पूर्व प्रणाली का अग्रतर सुदृढ़ीकरण आवश्यक हो तो आवेदक, लागत प्राक्कलन तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए समापन अनुसूची (कम्पलीशन शिड्यूल) के प्रयोजनार्थ प्रणाली अध्ययन एवं प्राथमिक अन्वेषण कराने के लिये नोडल अभिकरण से निवेदन कर सकता है ;

(7) नोडल अभिकरण उप विनियम (6) के अधीन आवेदक से अनुरोध की प्राप्ति पर तत्काल अध्ययन करायेगा और आवेदक से अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर अध्ययन के परिणामों को सूचित करेगा।

(8) नोडल अभिकरण द्वारा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु अध्ययन में उपगत वास्तविक व्यय, जो एक लाख तक सीमित होगा या जैसा आयोग द्वारा समय समय अवधारित किया जाय, की प्रतिपूर्ति आवेदक द्वारा भी की जायेगी।

12. <u>अल्पकालिक मुक्त उपगम ग्राहक के लिये प्रक्रिया</u>:–

(1) कोई अल्पकालिक अंतःराज्यीय मुक्त उपगम ग्राहक मुक्त उपगम पाने के लिये नोडल अभिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा;

(2) कोई उपभोक्ता अपने आवेदन की एक प्रति स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी एव उस वितरण लाइसेंसी को भी प्रस्तुत करेगा जा उसे विद्युत आपूर्ति कर रहा है;

(3) आवेदन में, अपेक्षित क्षमता, इन्जेक्शन का बिन्दु, आहरण का बिन्दु, मुक्त उपगम पाने की अवधि, चरम भार, औसत भार और ऐसी अन्य सूचना जो नोडल अभिकरण द्वारा विनियम–11 के अधीन जारी दिशा निर्देशों में अधिकथित व्यवस्था के विवरण आवेदन में प्रस्तुत किये जाएंगे।

(4) नोडल अभिकरण द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों अधिकथित के नाम में और रीति में देय 5000/– रूपये की या आयोग द्वारा समय समय पर यथा अवधारित धनराशि की अप्रति देय फीस भी आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।

(5) स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, यथास्थिति स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी या वितरण लाइसेंसी के परामर्श से निम्नलिखित अनुसूची पर आधारित रूप से आवेदन पत्रों पर निर्णय लेगा;

| क्रम संख्या | संविदा की अवधि | अधिकतम प्रसंसकरण समय (जमा करने के कैलेन्डर माह के अंत से) |
|---|---|---|
| 1 | एक दिन तक | 12 घंटे |
| 2 | एक सप्ताह तक | तीन दिन |
| 3 | एक माह तक | सात दिन |
| 4 | छ माह से एक साल तक | पन्द्रह दिन |

(6) आरक्षित क्षमता का किसी अल्प कालिक ग्राहक से किसी अन्य ग्राहक को अंतरण नहीं किया जाएगा।

13. <u>मुक्त उपगम अनुबंधः–</u>

(1) कोई मुक्त उपगम ग्राहक, यथास्थिति, पारेषण एवं वितरण लाइसेंसी, विद्युत उत्पादकों, व्यापारियों और अन्य से उनके पारेषण और वितरण प्रणालियों के उपयोगार्थ व्यावसायिक अनुबन्ध कर सकेगा ;

(2) अनुबन्ध में अन्य बातों के साथ में, अनुबन्ध के समय पूर्व समापन तथा संविदाकार पक्षकारों पर उपजे परिणामों की भी व्यवस्था की जाएगी ;

(3) अनुबंध कर लिये जाने तथा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर को उसकी प्रतियां प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर द्वारा मुक्त उपगम ग्राहक को ऐसे उपगम की उपलब्धता का दिनांक सूचित किया जाएगा जो कि अनुबंध के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से 7 दिनों के बाद का नहीं होगा।

14. <u>मुक्त उपगम क्षमता का उपयोग न होनाः–</u>

(1) यदि कोई मुक्त उपगम ग्राहक अपने को आवंटित क्षमता का पूर्णतया या मौलिक भाग का उपभोग नहीं कर पाता है तो वह स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी तथा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर को, उपभोग कर पाने में अपनी असमर्थता के कारणों को बताते हुए सूचित करेगा और 30 दिनों की सूचना देकर उसको आवंटित क्षमता को समर्पित कर सकता है ;

(2) स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी, स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर को सूचना देते हुए किसी मुक्त उपगम ग्राहक को आवंटित क्षमता को घटा सकता है या रद्द कर सकता है यदि ऐसा ग्राहक उसको आवंटित क्षमता का बार बार अपेक्षा से कम उपयोग कर रहा हो ; और

(3) अल्प कालिक ग्राहक के लिये कोई मुक्त उपगम ग्राहक जिसकी क्षमता को उप खंड (1) के अधीन घटाया या रद्द कर दिया गया हो वह अपने संविदाधीन दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ आवंटन की शेष अवधि हेतु अवशिष्ट मुक्त उपगम क्षमता पर देय समस्त लागू प्रभारों के साथ, मूल आवंटन की शेष अधि के लिये घटी हुई क्षमता पर देय लागू प्रभारों के 50 प्रतिशत का भुगतान करेगा।

(4) अल्प कालिक ग्राहकों के लिये, काई मुक्त उपगम ग्राहक जिसकी क्षमता को उपखंड (2) के अधीन घटाया या रद्द किया गया है, वह अपने संविदा अधीन दायित्वों के निर्वहन के साथ में मूल आवंटन की शेष अवधि हेतु पूर्ण मुक्त उपगम क्षमता पर देय समस्त लागू प्रभारों का भुगतान करेगा।

(5) दीर्घ कालिक ग्राहकों के लिये, किसी प्रतिसंहरण / घटाये जाने / रद्दकरण के लिये देय प्रतिपूर्ति ऐसी होगी जैसी आयोग द्वारा अवधारित की जाय।

(6) स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, किसी आरक्षित क्षमता के समर्पण या घटाये जाने या रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध पारेषण या वितरण प्रणाली क्षमता को इस विनियमावली के अनुसार किसी अन्य अल्प कालिक मुक्त उपगम ग्राहक को आवंटित कर सकता है।

(7) कोई दीर्घ कालिक ग्राहक, आयोग की पूर्वानुमति के बिना अनुबंध में विनिर्दिष्ट अपने अधिकारों और दायित्वों का परित्याग या अंतरण नहीं करेगा;

परन्तु यह कि, किसी दीर्घ कालिक ग्राहक द्वारा अपने अधिकारों या दायित्वों का परित्याग या अंतरण, आयोग द्वारा यथा अवधारित प्रतिपूर्ति के भुगतान के अधीन रहते हुए होगा।

(8) स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी इस अधिसूचना (के प्रख्यापन) से 90 दिनों के भीतर एल0एल0डी0सी0 के परामर्श से दिशा निर्देश तैयार करेगा और उसे अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत करेगा।

15. <u>मुक्त उपगम के लिये प्रभार</u>:–

(1) <u>पारेषण प्रभार एवं व्हीलिंग प्रभार</u>:–

किसी पारेषण लाइसेंसी की पारेषण प्रणाली या वितरण लाइसेंसी की वितरण प्रणाली के उपयोगार्थ पारेषण प्रभारों या व्हीलिंग प्रभारों का विनियमन निम्नलिखित रूप से किया जाएगाः–

(क) किसी मुक्त उपगम ग्राहक द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों या व्हीलिंग प्रभारों का अवधारण, आयोग द्वारा क्रमशः पारेषण एवं वितरण लाइसेंसी के लिये टैरिफ के अवधारणार्थ आयोग द्वारा बनाये गए विनियमों की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) मुक्त के उपयोगार्थ जहां किसी समर्पित पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली का निर्माण अनन्य रूप से किसी मुक्त उपगम ग्राहक के लिये किया गया हो, वहां ऐसे समर्पित प्रणाली के लिये पारेषण प्रभार या व्हीलिंग प्रभार को टैरिफ के अवधारणार्थ विनियमों की शर्तों के अनुसार तय किया (वर्क आउट) जाएगा और ऐसे मुक्त उपगम उपभोक्ता द्वारा उसे पूर्णतया ऐसे समय तक वहन किया जाएगा जब तक कि अतिरिक्त क्षमता का उपयोग अन्य व्यक्तियों या प्रयोजनों के लिये किया जाय।

(ग) किसी मुक्त उपगम ग्राहक द्वारा अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली का उपयोग अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त किया जाता है तो अंतर्राज्यीय पारेषण हेतु पारेषण प्रभारों के भुगतान के साथ अंतःराज्यीय पारेषण और / या वितरण प्रणाली के उपयोगार्थ पारेषण प्रभार एवं व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।

(घ) अल्प कालिक मुक्त उपगम ग्राहक को आयोग द्वारा उस वर्ष के लिये ऐसी प्रणाली द्वारा प्रदत्त औसत क्षमता पर आधारित रूप से यथा अवधारित वार्षिक पारेषण या व्हीलिंग प्रभारों के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। पारेषण प्रणाली हेतु औसत क्षमता, पारेषण क्षमता से सम्बद्ध उत्पादन क्षमता तथा लाइसेंसी की प्रणाली द्वारा संभाले गए अन्य कारोबारों की संविदाकृत क्षमताओं का योग होगा, जबकि वितरण प्रणाली के संबंध में यह वितरण लाइसेंसी और कैप्टिव पावर संयंत्रों से उत्पादन, सह उत्पादन संयंत्र तथा ऐसे संयंत्र जो ऐसे लाइसेंसी के क्षेत्र में स्थित ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों से विद्युत जनित कर रहे हैं, की विद्युत चहारदीवारी (इलेक्ट्रानिक बाउन्ड्री) पर ऊर्जा के विनिमय के प्रत्येक अंतरा–फलकीय (इंटरफेस) बिन्दु पर विद्युत (पावर) के आयात का योग होगी।

परन्तु यह कि उक्त प्रभार एक दिन के आधार पर होंगे जो कि पारेषण / वितरण लाइसेंसी द्वारा रूपये प्रति मेगावाट में घोषित किया जाएगा और जो कि एक वर्ष की अवधि के लिये नियत बना रहेगा।

अग्रतर प्रतिबंध यह कि जब किसी क्षमता का आरक्षण बोली लगाये जाने के बाद किया गया हो तो बोली द्वारा यथा विनिश्चित रूप से दर निकाली जाएगी।

(ड.) अल्प कालिक ग्राहकों से इस प्रकार से संगृहीत प्रभारों का 25 प्रतिशत पारेषण या वितरण लाइसेंसी द्वारा रोक लिया जाएगा और शेष 75 प्रतिशत भाग पारेषण / वितरण लाइसेंसी के पारेषण में कमी करने व्हीलिंग प्रभारों के प्रति समायोजित किया जा सकता है जो कि दीर्घ कालिक ग्राहकों और / या वितरण लाइसेंसी के उपभोक्ताओं के फुटकर टैरिफ के प्रति प्रभार्य हो।

(2) <u>अधिभार</u>:–

(क) पारेषण प्रभार और व्हीलिंग प्रभार के अतिरिक्त कोई उपभोक्ता जो कैप्टिव उपभोक्ता नहीं है पारेषण प्रणाली / वितरण प्रणाली से प्राप्त मुक्त उपगम के लिए अधिभार का भुगतान करेगा।

(ख) आयोग द्वारा ऐसा अधिभार संबंधित टैरिफ आदेश में अलग से अवधारित किया जाएगा। ऐसे अवधारण के अभाव में अलग–अलग मामलों के लिए इस निमित्त दिये गऐ आवेदन के आधार पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिभार को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा,

परन्तु यह कि आवेदक को ऊपर विनियम 15(2)(ख) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समापन के बाद इस विनियमावली के अनुसाथ यथा अवधारित अधिभार के भुगतान करना होगा।

(ग) अधिभार की धनराशि की गणना इस प्रकार की जाएगी कि उस श्रेणी के उपभोक्ताओं से क्रास सब्सिडी के चालू स्तर को पूरा किया जा सके और उसे प्रदाय के उस क्षेत्र के वितरण लाइसेंसी को भुगतान कर दिया जाएगा जहां उपभोक्ता स्थित है।

(घ) पारेषण / वितरण लाइसेंसियों के टैरिफ के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार परस्पर सहायता / अनुदान (क्रास सब्सीडीज़) के समापन और घटाये जाने के संबंध में आयोग द्वारा यथा अवधारित रीति में अधिभार को घटाया या समाप्त किया जाएगा।

(ड.) जो उपभोक्ता अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली अनन्य रूप से प्राप्त कर रहे हैं वे अधिभार की ऐसी धनराशि जो आयोग द्वारा इस संबंध में विनियमावली के माध्यम से अवधारित की जाय।

(3)

(क) कोई उपभोक्ता जो मुक्त उपगम प्राप्त है और अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसी से भिन्न किसी व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त कर रहा है वह व्हीलिंग प्रभारों तथा अधिभार के अतिरिक्त, वितरण लाइसेंसी को एक अतिरिक्त अधिभार का भी भुगतान करेगा जिससे कि अधिनियम की धारा 42 की उप धारा(4) में यथा उपबंधित रूप में विद्युत प्रदाय के अपने दायित्व के कारण ऐसे वितरण लाइसेंसी की स्थिर लागत को पूरा किया जा सके।

(ख) वितरण लाइसेंसी आयोग को अपनी स्थिर लागत का एक लेखा प्रस्तुत करेगा जो कि वह प्रदाय के अपने दायित्व के कारण से उपगत (वहन) कर रहा हो;

(ग) आयोग, लाइेसेंसियों द्वारा प्रस्तुत किये गए ऐसे लेखे के ब्यौरे तथा आपत्तियां, यदि कोई, की संवीक्षा करेगा और उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसी को देय अतिरिक्त अधिभार की धनराशि का अवधारण करेगा;

(घ) ऐसा अतिरिक्त अधिभार, आयोग द्वारा यथा अवधारित अवधि के लिये उद्गृहणीय होगा।

16. <u>मीटरिंग</u>:–

(1) मुक्त उपगम ग्राहक द्वारा इन्जेक्शन के बिन्दु और आहरण के बिन्दु पर उपलब्धता आधारित टैरिफ से सुसंगत विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराये जाएंगे ;

(2) मुक्त उपगम उपभोक्ता ऐसे मेन मीटर तथा चेक मीटर उपलब्ध करायेगा जो ऐसे ग्राहकों हेतु, वोल्टेज प्रदाय का बिन्दु तथा अवधि और टैरिफ श्रेणी के आधार पर या, यथास्थिति उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड और वितरण लाइसेंसियों के मीटरिंग कोड में यथा समाविष्ट के आधार पर स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं।

(3) किसी मुक्त उपगम उपभोक्ता को आपूर्ति करने हेतु संविदा करने वाली (विद्युत) उत्पादन कंपनी या लाइसेंसी यदि कोई हो, द्वारा अंतः संयोजन बिन्दुओं या मीटरिंग कोड में यथा विनिर्दिष्ट जगहों पर मेन मीटर और चेक मीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राज्यीय पारेषण के मामले में वह नार्दन रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर के साथ संसूचना सुविधा स्थापित करेगी और उसके द्वारा रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसी सूचना, वास्तविक समय आधार पर तथा साथ ही सावधिक रूप से भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) जांच मीटर भी मेन मीटर के विनिर्दिशनों के अनुरूप होंगे;

(5) मुक्त उपगम अनुबंध के अन्य पक्षकारों की उपस्थिति में मेन मीटर एवं जांच मीटरों की स्थापना, सावधिक जांच तथा मापन (कैलिबरेशन) के लिये एस0टी0यू0 उत्तरदायी होगा। मेन एवं जांच मीटर दोनों पक्षकारों द्वारा सील किये जाएंगे। दोषपूर्ण मीटर तत्काल बदले जाएंगे। उपर्युक्त का जिम्मा स्टेट ग्रिड कोड के सुसंगत उपबंधों के अनुसार लिया जाएगा।

(6) मेन मीटर एवं जांच मीटर की रीडिंग, वितरण लाइसेंसी के प्राधिकृत अधिकारी तथा उपभोक्ता या अनुबंध मे उसका यथा विनिर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा, यदि उपस्थित हो, संयुक्त रूप से समय समय पर नियत दिनांक एवं घंटे पर ली जाएगी। ली गई मीटर रीडिंग को 12 घंटों के भीतर तत्काल ही यथास्थिति एस0एल0डी0सी0, उपभोक्ता, एस0टी0यू0, उत्पादक कंपनी / व्यवसायी को संसूचित किया जाएगा। मेन मीटर के दोषपूर्ण पाये जाने, रूक जाने या उसमें एस0टी0यू0 द्वारा यथा विनिश्चित प्रतिशत से परे रीडिंग अभिलेखन में भिन्नता पाये जाने पर जांच मीटर की रीडिंग पर विचार किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि मेन मीटर और जांच मीटर की रीडिंग का अन्तर अर्थात जांच मीटर की तुलना में मेन मीटर की रीडिंग, सुसंगत बी0आई0एस0 के अनुसर सुसंगत श्रेणी पर लागू त्रुटि के प्रतिशत से अधिक हो तो दोनों मीटरों का परीक्षण किया जाएगा और पाये गए दोषपूर्ण मीटर को तत्काल बदला जाएगा तथा दूसरे वाले मीटर की रीडिंग को ही विचारण हेतु ग्रहण किया जाएगा।

अग्रतर प्रतिबंध यह कि इस खंड के प्रयोजनार्थ वितरण लाइसेंसी, वितरण प्रणाली का प्रचालनकर्ता एवं अनुरक्षणकर्ता वह वितरण लाइसेंसी होगा जिससे कि उपभोक्ता का परिसर से सम्बद्ध है ;

(7) कोई मुक्त उपगम उपभोक्ता या (विद्युत) उत्पादन कंपनी या लाइसेंसी मेन मीटर और जांच मीटर उपलब्ध कराने के लिये वितरण लाइसेंसी से अनुरोध कर सकता है। ऐसे मामले में वे वितरण लाइसेंसी को प्रतिभूति उपलब्ध करायेंगे और उसका किराया अदा करेंगे तथा मेन मीटर और जांच मीटर का अनुरक्षण वितरण लाइसेंसी द्वारा किया जाएगा;

(8) मेन मीटर और चेक मीटरों में, स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, वास्तविक समय के आधार पर या एस0टी0यू0 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्यथा रूप से अपनी रीडिंग संसूचित करने की सुविधा होगी।

परन्तु यह कि इन मीटरों में वे सभी तत्व होंगे जो उपलब्धता आधारित टेरिंफ (ए0बी0टी0) की अपेक्षा की संगति में हो।

(9) 'मीटर' मद में करंट ट्रांसफारमर, वोल्टेज / पोटेंशियल ट्रांसफारमर, उनके मध्य वाइरिंग (तार यंत्र) तथा मीटर / पैनल भी सम्मिलित है।

## 17. संसूचना सुविधाः–

(1) मुक्त उपगम ग्राहक, वास्तविक समय आधार पर मीटरों की रीडिंग संसूचित करने हेतु संसूचना चैनलों के लिये, यथास्थिति, निकटतम ग्रिड सब स्टेशन तथा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर को संसूचना हेतु उपकरणों की व्यवस्था करेगा या उसकी लागत वहन करेगा।

(2) एस0एल0डी0सी0 के साथ निम्नलिखित के माध्यम से संसूचना की चौबीसों घंटे की सुविधा मुक्त उपगम ग्राहकों को होगीः–

(एक) एस0टी0डी0 सेवा के साथ टेलीफोन / मोबाइल, और
(दो) फैक्स एव ई–मेल का ट्रांसमिशन / प्राप्ति ; या
(तीन) जैसा स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किया जाय।

## 18. शिड्यूलिंग एवं सिस्टम ऑपरेशन चार्जेस (अनुसूचीकरण तथा प्रणाली प्रचालन प्रभार):–

(1) दीर्घ कालिक तथा अल्प कालिक मुक्त उपगम ग्राहकों द्वारा एस0एल0डी0सी0 को देय शिड्यूलिंग एवं सिस्टम आपरेशन प्रभार ऐसे होंगे जैसे आयोग द्वारा विनियम के माध्यम से अधिनियम की धारा–32 के अधीन अवधारित किये जायं ;

(2) ऊपर खंड (1) के अनुसरण में एस0एल0डी0सी0 को देय शिड्यूलिंग एवं सिस्टम आपरेशन प्रभार, एस0एल0डी0सी0 को दिये जाने हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित फीस एवं प्रभारों के अतिरिक्त होंगे।

## 19. अनशिड्यूल्ड इन्टरचेंज प्राइसिंगः–

अनुसूचित तथा वास्तविक आहरण के बीच मिसमैच (तालमेल न बैठने) के लिये भुगतान, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए0बी0टी0) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्राइसिंग मैकेनिज़्म (मूल्य निर्धारण क्रिया विधि) द्वारा शासित होगा।

20. <u>रियेक्टिव एनर्जी प्रभार</u>:–

मुक्त उपगम ग्राहकों के लिये रियेक्टिव एनर्जी प्रभारों के भुगतान की गणना क्रमशः रियेक्टिव चार्ज इनपुट तथा आहरण हेतु उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं पर लागू योजना के अनुसार तथा आयोग द्वारा समय समय पर यथा अवधारित रूप से की जाएगी।

21. <u>ऊर्जा हानि</u>:–

ऊर्जा की हानि का अवधारण एस0एल0डी0सी0 द्वारा किया जाएगा और मुक्त उपगम ग्राहकों के वास्तविक ऊर्जा आहरण के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा;

22. <u>अन्य वाणिज्यिक शर्तें</u>:–

(क) पारेषण प्रभारों के प्रति भुगतान प्रतिभूति के रूप में, परस्पर सहमत संविदा मांग के आधार पर 3 महीनों की औसत बिलिंग के बराबर का निक्षेप स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी के पास बनाये रखा जाएगा।

(ख) एस0एल0डी0सी0 प्रभारों के प्रति भुगतान की प्रतिभूति के रूप में, एल0एल0डी0सी विनियमावली के अनुसार, स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर के पास 3 माह के एस0एल0डी0सी0 प्रभारों के बराबर का एक निक्षेप बनाये रखा जाएगा ;

(ग) व्हीलिंग प्रभारों के प्रति भुगतान की प्रतिभूति के रूप में इन प्रभारों के औसत बिलिंग के 3 माह के बराबर का निक्षेप आपूर्ति के क्षेत्र के वितरण लाइसेंसी के पास रखा जाएगा।

तीन माह के कम अवधि हेतु मुक्त उपगम के लिये, पारेषण, व्हीलिंग, अधिभार, अतिरिक्त अधिभार तथा एस0एल0डी0सी0 प्रभारों की वास्तविक धनराशि के बराबर प्रतिभूति निक्षेप।

(घ) ऐसी प्रतिभूति नगद जमा, साख–पत्र आदि के रूप में हो सकती है।

(ड.) पारेषण य व्हीलिंग प्रभार तथा शिड्यूलिंग एव सिस्टम आपरेशन प्रभारों के लिये अन्य वाणिज्यिक शर्तें यथा, – भुगतान की शर्तें, क्रेडिट वर्दीनेस (साख योग्यता), क्षतिपूर्तिकरण तथा ..... की शर्तें मुक्त उपगम ग्राहकों के लिये एस0टी0यू0 द्वारा विनियमावली के प्रारम्भ से 60 दिनों के भीतर मानकीकृत (स्टैन्डर्डाइज) कर दी जाएगी।

(च) अल्प कालिक मुक्त उपगम के मामले में, भुगतान की प्रतिभूति एस0एल0डी0सी0 द्वारा धारण की जाएगी।

## 23. ग्रिड अनुशासन (ग्रिड डिसिपलिन) का अनुपालनः–

मुक्त उपगम ग्राहक द्वारा यथास्थिति, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए0बी0टी0), इंडियन इलेक्ट्रिकसिटी) ग्रिड कोड, स्टेट ग्रिड कोड के उपबंधों का तथा स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर द्वारा दिये गयए अनुदेशों का, जैसा वे समय समय पर लागू हों ; अनुपालन किया जाएगा।

## 24. प्रभारों का संग्रहण तथा वितरणः–

एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार किये गए ऊर्जा लेखा और आयोग द्वारा अवधारित प्रभारों के आधार पर ;

(1) मुक्त उपगम ग्राहकों के संबंध में पारेषण प्रभार एवं व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान मुक्त उपगम ग्राहकों द्वारा अपने अपने लाइसेंसधारियों को सीधे किया जाएगा ;

(2) मुक्त उपगम ग्राहकों के संबंध में शिड्यूलिंग एवं सिस्टम आपरेशन प्रभारों का भुगतान सुसंगत विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर को किया जाएगा ;

(3) अनशिड्यूल इन्टरचेंज प्रभारों का भुगतान, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए0बी0टी0) के उपबंधों के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा निर्देशित रीति में किया जाएगा ;

(4) अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभारों का भुगतान मुक्त उपगम उपभोक्ता द्वारा सीधे उस वितरण लाइसेंसी को किया जाएगा जिसके आपूर्ति/प्रदाय के क्षेत्र में वह अवस्थित है।

## 25. मुक्त उपगम का चरणबद्ध किया जाना (फेसिंग)ः–

(1) अंतःराज्यीय पारेषण और / या वितरण प्रणाली को मुक्त उपगम की अनुमन्यता, अधिनियम में तथा इस विनियमावली के दी गई शर्तों के संतोषजनक अनुपालन के अधीन रहते हुए दी जायेगी ;

(2) प्रचालन संबंधी बाध्यताओं (प्रतिबंधों) तथा अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित चरणों में उपभोक्ताओं को मुक्त उपगम की अनुमति दी जाएगीः

| क्रम संख्या | चरण | उपभोक्ताओं की श्रेणी | समय जब से मुक्त उपगम अनुमन्य होगा |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम चरण | 20 मेगावाट एवं अधिक की मांग वाले उपभोक्ता तथा 33 कि0वा0 एवं अधिक के वोल्टेज स्तरों पर संयोजित | 1 जुलाई, 2005 |
| 2 | द्वितीय चरण | 10 मेगावाट एवं अधिक की मांग वाले उपभोक्ता तथा 33 कि0वा0 एवं अधिक के वोल्टेज स्तरों पर संयोजित | 1 अप्रैल, 2006 |
| 3 | तृतीय चरण | 5 मेगावाट एवं अधिक की मांग वाले उपभोक्ता तथा 11 कि0वा0 एवं अधिक के वोल्टेज स्तरों पर संयोजित | 1 अप्रैल, 2007 |
| 4 | चतुर्थ चरण | 1 मेगावाट एवं अधिक की मांग वाले उपभोक्ता | 1 अप्रैल, 2008 |

(3) प्रथम चरण में मुक्त उपगम के प्रचालन के अनुभव के आधार पर आयोग परवर्ती चरणों में मुक्त उपगम की अनुमति के लिये अनुसूची (शिड्यूल) को पुनरीक्षित (संशोधित) कर सकता है।

(4) आयोग 1 मेगावाट या उससे कम की आपूर्ति चाहने वाले उपभोक्ताओं को ऐसे समय पर, जैसा कि वह प्रचालनात्मक अवरोध की विवशता एवं अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, उचित समझे, मुक्त उपगम हेतु अनुमति दे सकता है।

(5) कैप्टिव विद्युत उत्पादन, सह–उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत जनन संबंधी विनियमों या प्रथा निर्देशों द्वारा आच्छादित कोई व्यक्ति, इस विनियमावली के साथ पठित सुसंगत विनियमों / प्रथा निर्देशों के अनुसार मुक्त उपगम प्राप्त करने के लिये पात्र होगा।

## 26. संक्षेपण प्राथमिकताः–

व्यवरोध विवशता या अन्यथा कारण से जब ग्रिड कोड की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, ग्रहक की मुक्त उपगम सेवा में संक्षेपण (कांट–छांट) किया जाना आवश्यक हो जाय तो अल्प कालिक अंतःराज्यीय ग्राहकों का संक्षेपण पहले तथा बाद में दीर्घ कालिक अतः राज्यीय ग्राहकों का संक्षेपण किया जाएगा। वितरण लाइसेंसी तथा विद्युत उत्पादन कंपनियों का मुक्त उपगम सेवा का संक्षेपण सबसे बाद में किया जाएगा । एस0एल0डी0सी0 द्वारा अंतःराज्यीय मुक्त उपगम ग्राहकों के संक्षेपण के लिये दिशा निर्देश तैयार किये जाएंगे।

परन्तु यह कि किसी एक श्रेणी के अंतर्गत मुक्त उपगम ग्राहकों की संक्षेपण प्राथमिकता समान रहेगी और उनका संक्षेण यथा अनुपाततः आधार पर किया जाएगा।

27. **सूचना प्रणाली**:–

स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर द्वारा अपने वेबसाइट पर एक पृथक वेब पृष्ठ पर ''मुक्त उपगम सूचना'' शीर्षक के अधीन निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाएगी तथा ऐसी सूचना देते हुए एक मासिक रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी।

(1) निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए दीर्घकालिक ग्राहकों पर एक प्रास्थिति प्रतिवेदन (स्टेटस रिपोर्ट) –

(क) ग्राहक का नाम ;
(ख) प्रदत्त उपगम की अवधि (प्रारंभ दिनांक तथा समापन दिनांक)
(ग) इंजेक्शन का बिन्दु
(घ) आहरण के बिन्दु
(ड.) प्रयोग की गई पारेषण की प्रणाली / वितरण प्रणाली ;
(च) प्रयोग की गई मुक्त उपगम क्षमता

(2) निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए चालू / वर्तमान अल्पकालिक ग्राहकों पर प्रास्थिति प्रतिवेदन (स्टेटस रिपोर्ट) :–

(क) ग्राहक का नाम ;
(ख) प्रदत्त उपगम की अवधि (प्रारंभ दिनांक तथा समापन दिनांक)
(ग) इंजेक्शन का बिन्दु
(घ) आहरण के बिन्दु
(ड.) प्रयोग की गई पारेषण की प्रणाली / वितरण प्रणाली ;
(च) प्रयोग की गई मुक्त उपगम क्षमता

(3) इ0एच0सी0 (अति उच्च वोल्टेज) सब स्टेशनों से निर्गमित सभी ई0एच0 की लाइनों तथा एच0वी0 लाइनों पर उपलब्ध क्षमता और पीक लोड फ्लो (शीर्ष भार संवहन)।

(4) पारेषण एवं वितरण प्रणाली में होने वाली औसत हानि, जैसा संबंधित लाइसेंसी द्वारा अवधारित किया जाय, के संबंध में सूचना।

28. **निवारण क्रिया विधि**:–

(1) मुक्त उपगम से संबंधित सभी विवाद एवं शिकायतें एस0एल0डी0सी0 को की जाएंगी, जो कि उसकी जांच करेगा और 30 दिनों के भीतर व्यथा का समाधान करने का सश्रम प्रयास करेगा ; और

(2) जहां ऊपर विनिर्दिष्ट समयावधि में एस0एल0डी0सी0, व्यथा का निवारण करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे आयोग को संदर्भित कर दिया जाएगा।

29. **कठिनाइयां दूर करने की शक्तिः–**

यदि इस विनियमावली के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन में काई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, लाइसेंसधारियों तथा मुक्त उपगम ग्राहकों को ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है, जो कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजनार्थ आयोग को आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।

30. इस विनियमावली का मूल संस्करण अंग्रेजी में है जिसका हिन्दी अनुवाद किया गया है। विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

आयोग के आदेश से,

**संगीता वर्मा**
सचिव,
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

## UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

**NOTIFICATION No.: UPERC/Secy/Regulation/05-249**

Dated, Lucknow, 7 June, 2005

In exercise of powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other provisions enabling in this behalf and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

**1. Short Title and Commencement**

(i) These regulations shall be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2004;

(ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in official gazette.

**2. Definitions**

In these regulations, unless the context otherwise requires –

a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

b) "Commission" means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;

c) “Open access” means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation in accordance with the provisions of the Act and regulations specified in this regulation.

d) “Nodal agency” means a Nodal Agency, specified in this regulation, for arranging non-discriminatory open access to transmission or distribution system;

The Nodal Agency for long-term and short-term open access (in transmission or distribution system or both), shall be the State

Transmission Utility (STU) and the State Load Dispatch Centre (SLDC) respectively.

e) "Open Access Customer" means a person using or intending to use the transmission system and/ or the distribution system of the licensees in the state for transmission or wheeling of electricity in the State;

f) "State" means the State of Uttar Pradesh;

g) Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein above shall bear the meaning assigned to them in the Act.

**3. Extent of Application**

These regulations shall apply to open access for use of intra-state transmission system and / or the distribution systems of licensees in the State, including, when such system is used in conjunction with inter-state transmission system.

**4. Criteria for allowing open access**

The Criteria for allowing open access shall be the availability of surplus capacity in the system to be determined by the Nodal Agency as below:

(i) Long term open access shall be allowed in accordance with planning criteria stipulated in the Grid Code for transmission system or distribution system or both;

The Nodal Agency shall establish a 'unit' for the purpose of planning of transmission system and necessary co-ordination for that purpose with distribution licensee and any other transmission licensee and generating company or any other source, who shall also establish such a 'unit' for planning. These 'units' shall co-ordinate and provide, the State Transmission Utility, information considered necessary for the purpose of long term open access; like transmission capacities of their systems, lines, transformers, their loading averaged over for each four hour blocks of each day for at least two years, future expansion plans and associated augmented capacities etc. All the above information shall be posted on the web-site for open access customers. The units so created, within two months, shall be equipped with necessary IT support. The 'unit' created by the nodal agency shall also be

responsible for disposal of application for open access. STU and distribution licensee shall give wide publicity of establishments of such unit.

Provided that the availability of capacity, consequent to expiry of term of existing long-term open access customer, shall be considered only if balance period is less than 12 months and an application for renewal has not been received.

(ii) Short term open access shall be allowed if the request for such access can be accommodated based on following;

(a) Inherent design margins;

(b) Margins available due to variation in power flows;

(c) Margins available due to inbuilt spare capacity in transmission and distribution system created to meet future generation and load requirement.

The Nodal Agency shall in co-ordination with STU and distribution licensee and generating company provide on its web site, for open access customers, information considered necessary for the purpose of open access, like transmission capacities of the system, lines, transformation capacities of transformers, their loading averaged over for each four hour blocks of each day for at least two years, future expansion plans and associated augmented capacities etc. The nodal agency shall be responsible for disposal of application of open access.

## 5. Eligibility and Conditions of Open Access

(1) Subject to the provisions of these regulations, the Licensees, generating companies including persons who have established a captive generating plant and consumers shall be eligible for open access to the intra state transmission system of the State Transmission Utility or any transmission licensee on payment of transmission charges as may be determined by the Commission.

Provided that such open access for the use by a consumer shall be available on payment of a surcharge as may be determined by the

Commission in accordance with provisions of regulation 14(2) and 24 in addition to payment of transmission charges.

Provided however that an applicant under an existing policy of the State Government in respect to open access, shall be entitled to open access under the existing policy for the duration of the policy subject to provisions relating to transmission charge and surcharge thereon under this regulation. Post the expiry of the policy, however, all open access customers would be subject to the terms of these regulations.

(2) Subject to the provisions of these regulations, the Licensees, generating companies including persons who have established a captive generating plant and consumers shall be eligible for open access to Distribution System of a Distribution licensee on payment of the wheeling charges as may be determined by the Commission.

Provided that such open access for the use by a consumer shall be available on payment of a surcharge and additional surcharge as may be determined by the Commission in accordance with provisions of regulations 14(2), 14(3) and 24 in addition to payment of wheeling charges.

Provided however that an applicant under an existing policy of the State Government in respect to open access, shall be entitled to open access under the existing policy for the duration of the policy subject to provisions relating to transmission charge and surcharge thereon under this regulation. Post the expiry of the policy, however, all open access customers would be subject to the terms of these regulations.

**6. Provisions for existing distribution licensees**

(1) The distribution licensees having access to intra state transmission system and the distribution system in the State on the date of coming into force of these regulations under an existing agreement or arrangement shall be entitled to

continue to avail open access to such transmission and distribution system on the same terms and conditions, for the term of the existing agreement or arrangement on payment of transmission charges and wheeling charges as may be determined by the Commission.

(2) The existing distribution licensees shall, within 60 days of coming into force of these regulations, furnish to the State Transmission Utility and the State Load Dispatch Centre details of their agreements for use of the transmission system and / or distribution system and the terms and conditions for such use.

**7. Provisions for generating companies**

(1) The existing generating company other than the licensees having access under existing agreement or arrangement on the date of coming into force of these regulations, shall furnish to the State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre, details of existing agreement or arrangement for supply of power indicating details of capacity, point of injection, point of drawal, duration, peak load, average load or such other information as the State Transmission Utility or State Load Dispatch Centre may require, within 60 days of coming into force of these regulations.

(2) The existing generating company under sub-clause (1) may continue to have open access on terms and conditions laid down under these regulations.

**8. Categorisation of Open Access Customers**

Subject to the provisions of Regulations 6 and 7, the open access customers shall be classified into the following categories:

(i) Long-term customers

An open access customer availing or intending to avail intra state open access for a period of five years or more shall be the long-term intra state open access customer.

(ii) (a) Short-term customers

An open access customer availing or intending to avail intra state open access for a period of one year or less and up to one day shall be the short-term intra state open access customer.

**9. Allotment Priority**

(1) The priority for allowing open access to customers shall be decided on the following criteria:

(a) A existing distribution licensee and existing generating company and captive power plant shall have the highest priority in allotment of open access capacity;

(b) Distribution licensee shall have priority over other customers;

(c) Other Long-term open access customers shall have the priority over the short-term open access customers but next to those covered under 9(a) and 9(b);

(d) An existing long-term open access customer shall have the priority over new open access customer under respective category provided he has applied for its renewal 12 months prior to the expiry of existing term of open access;

(e) All applications for long-term open access received within a month shall be considered for processing at the end of that month. Subject

to clauses (a) to (d) above, the decision for allowing Open Access, both for short-term and long-term, shall be based on the basis of first come first served.

Provided that the applications for long term and short-term open access are filed in the month prior to the period allowed for disposal of such applications under the regulation 11 (5) and 12 (5). However, in case of short-term open access for period specified under regulation 12 (5), all applications received during the month shall be treated at par and processed at the same time.

Provided further that for open access up to a day, application shall be filed 24 hrs. in advance and shall be and decided on first cum first served basis.

(2) In case of short term access, if the capacity sought to be reserved by the customers is more than the available capacity at that point of time, the following procedure would be followed:

(a) State Load Despatch Centre shall invite snap bids through fax /e-mail;

(b) The floor price for the bidding shall be the price determined under regulation 15(1) and 9(3);

(c) The bidders shall quote price in terms of percentage points above the floor price;

(d) The reservation of capacity will be made in decreasing order of the price quoted;

(e) In case of equal price, if required, the reservation of capacity shall be made pro-rata to the capacity sought;

(f) The customer getting reservation for a capacity less than the capacity sought by him shall pay charges quoted by him and the customers getting capacity reservation equal to the capacity sought by them shall pay charges quoted by the last customer getting reservation of capacity;

(3) The State Load Despatch Centre shall, within 60 days, formulate a detailed procedure for reservation of capacity to short term customers, including the detailed procedure for bidding.

**10. Nodal Agency**

(1) The Nodal Agency for arranging long term Open Access in all cases shall be the State Transmission Utility; whether its system is used or not and for that purpose, a distribution licensee and/or a transmission licensee, whose system gets associated with such long term open access, shall be responsible to co-ordinate with STU and provide all relevant information required to take decision for providing open access.

(2) Similarly, the Nodal Agency for short-term open access shall be the State Load Dispatch Centre and in such case, STU and/or transmission licensee and/or a distribution licensee concerned, as the case may be, shall be responsible for co-ordination with SLDC and provide all relevant information required to take decision for providing open access.

**11. Procedure for Long term Open Access customer**

(1) A long term intra state open access customer shall file an application to the Nodal Agency, with details such as capacity needed, generation planned or power purchase contracted, point of injection, point of drawal, duration of open access, peak load, average load and any other additional information that may be required by the Nodal Agency;

(2) A consumer may also approach the Commission of his intention of availing open access as per the procedure prescribed under UPERC (Conduct of Business) Regulation, in case charge for open access not determined or there is a dispute with the Nodal Agency, and also provide a copy of his application to the distribution licensee who is supplying electricity to him as well as to state transmission utility;

(3) The relevant Nodal Agency shall issue guidelines, procedures and prescribe an application form for applying for open access, both short-term and long-term, within 90 days of issue of these regulations;

(4) The application shall be accompanied by a non-refundable fee of Rs. 50,000/- 1.0 Lac or as determined by the Commission from time to time payable in the name and in the manner laid down in the guidelines by the Nodal Agency;

(5) The Nodal Agency shall, in consultation with State Load Dispatch Centre, Transmission and Distribution licensees and based on system studies by the concerned licensee or otherwise, assess the capacity available and communicate the decision to the applicant within 60 days of the receipt of the application;

(6) If, in the opinion of the Nodal Agency, further system strengthening is essential before providing long-term access, the applicant may request the Nodal Agency to carry out system studies and preliminary investigation for the purpose of cost estimates and completion schedule for system strengthening;

(7) The Nodal Agency shall carry out the studies immediately on receipt of request from the applicant under sub regulation (6) and intimate results of the studies within 90 days of receipt of request from the applicant;

(8) The applicant shall also reimburse the actual expenditure limited to Rs. 1.0 Lac or as determined by the Commission from time to time incurred by the Nodal Agency for system strengthening studies.

**12. Procedure for Short-term open access Customer**

(1) A short-term intra state open access customer shall submit an application for open access to the Nodal Agency;

(2) A consumer shall also furnish a copy of his application to the State Transmission Utility and distribution licensee who is supplying electricity to him;

(3) The application shall contain the such details, like capacity needed, point of injection, point of drawal, duration of availing open access, peak load, average load and such other additional information that may be laid down by the Nodal Agency in its guidelines issued under regulation 11;

(4) The application shall be accompanied by non-refundable fee of Rs.5000/- or as determined by the Commission from time to time payable in the name and in the manner laid down in the guidelines by the Nodal Agency;

(5) State Load Dispatch Centre, in consultation with the State Transmission Utility and distribution licensee, as the case may be, shall take a decision on the application based on the following schedule:

| S. No. | Tenure of the contract | Maximum Processing Time (from end of the calendar month of submission) |
|---|---|---|
| | Up to one day | 12 hours |
| | Up to one week | Three days |
| | Up to one month | Seven days |
| | Up to six month to one year | fifteen days |
| | | |
| | | |

(6) The reserved capacity shall not be transferred by a short-term customer to any other customer.

**13. Open Access Agreement**

(1) An open access customer shall enter into commercial agreements with the transmission and distribution licensees, generators, traders and others, as the case may be, for use of their transmission and distribution systems;

(2) The agreement shall provide, amongst other things for the eventuality of premature termination of agreement and its consequences on the contracting parties,

(3) After agreements have been entered into and copies furnished to State Load Dispatch Centre, the State Load Dispatch Centre shall inform the open access customer the date from which open access will be available which will not be later than 7 days from the date of furnishing of agreements.

**14. Non-Utilisation of open access capacity**

(1) In case an open access customer is unable to utilize, full or substantial part of the capacity allotted to him, he shall inform the State Transmission Utility and State Load Despatch Centre along with reasons for his inability to utilize the capacity and may surrender the capacity allotted to him by serving a notice of 30 days;

(2) The State Transmission Utility under intimation to state load despatch centre may, reduce or cancel the allotted capacity of an open access customer when such a customer frequently under-utilises the capacity allotted to him; and

(3) For the short-term customers, an open access customer, whose capacity has been reduced or cancelled under sub-clause (1), shall, in addition to discharging his contractual obligations, pay all applicable charges payable on balance open access capacity for the remaining period of allocation plus 50% of applicable charges payable on reduced capacity for the remaining period of original allocation.

(4) For the short-term customers, An open access customer, whose capacity has been reduced or cancelled under sub-clause (2), shall, in addition to

discharging his contractual obligations, pay all applicable charges payable on full open access capacity for the remaining period of original allocation.

(5) For the long-term customers, the compensation payable for revocation / reduction / cancellation shall be as determined by the Commission.

(6) The state load despatch centre may allot the transmission or distribution system capacity available as a result of surrender or reduction or cancellation of the reserved capacity to any other short-term open access customer in accordance with this regulation.

(7) A long term customer shall not relinquish or transfer his rights and obligations specified in the agreement, without prior approval of the Commission;

Provided that the relinquishment of transfer of rights and obligations by a long-term customer shall be subject to payment of compensation, as may be determined by the Commission.

(8) The State Transmission Utility to develop the guidelines, in consultation with SLDC, within 90 days of this notification and submit the same to the Commission for approval.

**15. Charges for open access**

(1) **Transmission charges and Wheeling charges**

The Transmission charges or Wheeling charges for use of the Transmission System of a Transmission Licensee or the distribution system of a distribution licensee shall be regulated as under:

(a) Transmission charges and wheeling charges payable by an open access customer shall be determined by the Commission in terms of the regulations framed by the Commission for determination of tariff for transmission and distribution licensee respectively.

(b) Where a dedicated transmission system or a distribution system used for open access has been constructed for exclusive use of an open access customer, the transmission charges or wheeling charges for such dedicated system shall be worked out in terms of the regulations for determination of tariff and shall be borne entirely by such open access customer till such time the surplus capacity is used for other persons or purposes.

(c) In case intra state transmission system or distribution system is used by an open access customer in addition to inter-state transmission system, transmission charges and wheeling charges shall be payable for use of intra-state transmission and/or distribution system in addition to payment of transmission charges for inter-state transmission.

(d) The short-term open access customer shall pay 25% of the annual transmission or wheeling charges as determined by the Commission for that year based on average capacities served by such systems. The average capacity, for transmission system shall be sum of generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other transactions handled by the system of the Licensee while in case of distribution system, it shall be sum of import of power at each interface point of exchange of power at electrical boundary of distribution licensee and generation from captive power plants, co-generation plants and plants generating electricity from renewable sources of energy located in the area of such licensee.

Provided that above charges shall be on one-day basis which transmission / distribution licensee shall declare in Rs. Per MW, which shall remain fixed for a period of one year.

Provided further that when reservation of capacity has been done consequent to bidding, the rate shall be taken as decided by bidding.

(e) 25% of the charges collected in this manner from the short- term customers shall be retained by transmission or distribution licensee and the balance 75% shall be adjusted towards reduction in transmission/wheeling charges of the transmission/ distribution licensee respectively chargeable to long terms customers and/or retail tariff of the consumers of the distribution licensee.

Provided that the price determined under regulation 15(1) shall be the floor price for the purpose of regulation 9(2)(b).

**(2) Surcharge**

(a) In addition to transmission charges and wheeling charges, a consumer availing open access to the transmission system/distribution system not being a captive consumer shall pay a surcharge;

(b) Surcharge shall be determined by the Commission separately in the concerned tariff order. In absence of such determination, the surcharge shall be specified by the Commission on a case to case basis for a specified period based on an application moved before it in this behalf.

Provided that the applicant shall pay surcharge as determined as per these regulations post the expiry of the period specified above under regulation 15(2)(b).

(c) The amount of surcharge shall be so calculated as to meet the current level of cross subsidy from that category of consumers and shall be paid to the distribution licensee of area of supply where the consumer is located.

(d) The surcharge shall be reduced and eliminated in the manner as determined by the Commission in respect to reduction and elimination of cross subsidies in terms and conditions of tariff of transmission/distribution licensees.

(e) The consumers availing exclusively interstate transmission system shall pay such amount of surcharge as determined by the Commission by regulations in this regard.

**(3) Additional Surcharge**

(a) A consumer availing open access and receiving supply of electricity from a person other than the distribution licensee of his area of supply shall pay to the distribution licensee an additional surcharge, in addition to wheeling charges and surcharge, to meet the fixed cost of such distribution licensee arising out of his obligation to supply as provided under sub-section (4) of section 42 of the Act;

(b) The distribution licensee shall submit to the Commission an account of fixed cost, which the licensee is incurring towards his obligation to supply;

(c) The Commission shall scrutinize the statement of account submitted by the licensee and objections, if any, and determine the amount of additional surcharge payable by the consumer to the licensee,

(d) The additional surcharge shall be leviable for such period as the Commission may determine.

**16. Metering**

(1) The open access customer shall provide ABT compatible Special Energy Meters at the point of injection and point of drawal;

(2) The open access consumer shall provide Main Meters and check meters, as may be specified by the state transmission utility for such customer based on voltage, point and period of supply and tariff category or incorporated in Uttar Pradesh Electricity Grid Code and metering code of distribution licensees as the case may be;

(3) The Generating company or a licensee contracting to effect supply to an open access consumer shall make arrangement to provide Main Meters

and check meters at interconnecting points or as specified in metering code if any. In case of inter state transmission, it shall establish communication facility with Northern Regional Load Despatch Centre and provide such information and in such format as may be specified by Regional/State Load Dispatch Centre, on real time basis as well as periodically;

(4) The Check Meters shall be of the same specification as Main Meters;

(5) STU shall be responsible for installation, periodical testing and calibration of main and check meters in the presence of other parties to open access agreement. Main and check meters shall be sealed by both parties. Defective meter shall be replaced immediately. The above shall be undertaken as per the relevant provisions of the state grid code.

(6) Reading of Main and Check meters shall be taken periodically at appointed day and hour jointly by authorized officer of distribution licensee and consumer or his representative as specified in the agreement, if present. Meter reading shall be immediately communicated to State Load Dispatch Centre, consumer, State Transmission Utility and Generating Company/trader, as the case may be, within 12 hours. Check meter readings shall be considered when Main Meters are found to be defective or stopped or found to have difference in recording beyond a specified percentage as decided by the state transmission utility.

Provided that if difference between the readings of main and check meter vis-à-vis main meter reading exceeds the percentage error applicable to relevant class as per relevant BIS, both meters shall be tested and one found defective shall be immediately replaced and reading of other will be considered.

Provided further that Distribution licensee for the purpose of this clause shall be the distribution licensee operating and maintaining distribution system to which consumer's premises are connected;

(7) An open access consumer or generating company or licensee may request distribution licensee to provide Main Meters and check meters. In that case he shall provide security to distribution licensee and shall pay for its rent and Main Meter and check meters shall be maintained by Distribution licensee;

(8) Main and Check Meters shall have facility to communicate its reading to State Load Dispatch Centre on real time basis or otherwise as may be specified by state transmission utility.

Provided that these meters shall have all features compatible to the requirement of Availability Based Tariff.

(9) The term 'Meter' shall include Current transformers, voltage/potential transformers, wiring between them and meter box/panel.

**17. Communicating facility**

(1) An open access customer shall provide for or bear the cost of equipments for communication up to nearest Grid Sub Station and State Load Dispatch Centre, as the case may be, for communication channels for communicating meters readings on real time basis.

(2) An open access customer shall have round the clock facility of communication with State Load Despatch Centre through: -

(i) Telephone /Mobile with S.T.D.; and

(ii) Transmission / receipt of Fax and E-mail; Or

(iii) As specified otherwise by State Transmission Utility

**18. Scheduling and system operation charges**

(1) The scheduling and system operation charges payable to State Load Dispatch Centre by long-term as well as short term open access

customers shall be such as determined by the Commission under section 32 of the Act by regulation;

(2) The scheduling and system operation charges payable to the State Load Despatch Centre in accordance with clause (1) above shall be in addition to the fees and charges approved by the Commission for payment to State load despatch centre.

**19. Unscheduled interchange pricing**

The payment for mismatch between the schedule and the actual drawal shall be governed by the pricing mechanism as specified under Availability Based Tariff.

**20. Reactive Energy Charges**

The payment for the reactive energy charges for the open access customers shall be calculated in accordance with the scheme applicable to generators and consumers for reactive charge input and drawal respectively as may be determined by the Commission from time to time.

**21. Energy losses**

The energy losses shall be determined by SLDC and apportioned in proportion to actual energy drawal of the open access customers;

**22. Other Commercial Conditions**

a. As a payment security towards transmission charges, a deposit equal to 3 months of the average billing on the basis of agreed contract demand shall be maintained with the State Transmission Utility.

b. As a payment security towards SLDC charges, a deposit equal to 3 months of the SLDC charges shall be maintained with the State Load Dispatch Centre as per SLDC regulation.

c. As a payment security towards wheeling charges, surcharge and additional surcharge, a deposit equal to 3 months of average billing for these charges shall be maintained with the distribution licensee of the area of supply.

For open access for a period less than 3 months, payment security shall be maintained at the actual amount of transmission, wheeling, surcharge, additional surcharge and SLDC charges as the case may be.

d. Such security could be in form of cash deposit, letter of credit etc.

e. The other commercial conditions for transmission or wheeling charges and scheduling and system operation charges, such as, terms of payment, creditworthiness, indemnification, and force majeure conditions shall be standardized within 60 days from the commencement of the regulations by the State Transmission Utility for open access customers.

f. In case of short-term open access, payment security shall be held by SLDC.

23. **Compliance with Grid Discipline**

The open access customer shall abide by the provisions of Availability Based Tariff, the Indian Electricity Grid Code, the State Grid Code and instructions given by State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre or Regional Load Despatch Centre, as the case may be, and as applicable from time to time.

**24. Collection and Disbursement of charges:** on the basis of energy account prepared by SLDC and charges determined by the Commission;

(1) The transmission charges and wheeling charges in respect of open access customers shall be payable by the open access customer directly to respective licensees;

(2) The scheduling and system operation charges in respect of open access customers shall be paid to the state Load Despatch Centre as per the provisions of the relevant regulations;

(3) The Unscheduled Interchange charges shall be paid in the manner as directed by the State Load Despatch Centre as per the Provisions of Availability Based Tariff;

(4) The surcharge and additional surcharge shall be paid by the open access consumer directly to the distribution licensee in whose area of supply he is located.

**25. Phasing of Open Access**

(1) The open Access shall be allowed to the intra state transmission and/or distribution system subject to the satisfaction of the conditions contained in the Act and in these regulations;

(2) Having regards to operational constraints and other relevant factors, open access shall be allowed to consumers in the following phases:

| | **Phases** | **Category of consumers** | **Time from which open access allowed** |
|---|---|---|---|
| 1 | Phase I | Consumers with demand of 20 MW and above and connected on voltage levels of 33 KV and above | July 1, 2005 |
| 2 | Phase II | Consumers with demand of 10 MW and above and connected on voltage levels of 33 KV and above | April 1, 2006 |
| 3 | Phase III | Consumers with demand of 5 MW and above and connected on voltage levels of 11 KV and above | April 1, 2007 |
| 4 | Phase IV | Consumers with demand of above 1 MW | April 1, 2008 |

+

(3) Based on the experience of operation of open access in phase I, the Commission may revise the schedule for allowing open access in subsequent phases.

(4) The Commission may allow open access to consumers requiring a supply of 1 MW or less, at such time as it may consider feasible having regard to operational constraints and other factors.

(5) A person covered by regulations or practice direction, relating to captive generation, Co-generation or generation from non-conventional energy sources shall be eligible to avail open access as per the relevant regulations/practice directions read with this regulation.

**26. Curtailment Priority**

When because of constraints or otherwise, it becomes necessary to curtail the open access service of the customers, subject to the requirements of Grid Code, the short-term intra state customers shall be curtailed first followed by the long-term intrastate customers. The open access to a distribution licensee and generating companies shall be the last to be curtailed. SLDC shall frame guidelines for curtailment of intra state open access customers.

Provided that within a category, the open access customers shall have equal curtailment priority and shall be curtailed on pro-rata basis.

**27. Information system**

The State Load Despatch Centre shall post following information on its website in a separate web page titled “Open access information” and also issue a monthly and annual report containing such information.

(1) A status report on long-term customers indicating: -

(a) Name of customer;

(b) Period of the access granted (start date and end date);

(c) Point(s) of injection;

(d) Point(s) of drawal;

(e) Transmission's system / distribution system used;

(f) Open access capacity used.

(2) A status report on the current short-term customers indicating: -

(a) Name of customer;

(b) Period of the access granted (start date and end date);

(c) Point(s) of injection;

(d) Point(s) of drawal;

(e) Transmission's system / distribution system used;

(f) Open access capacity used.

(3) Peak load flows and capacity available on all EHV lines and HV lines emanating from EHV Sub stations.

(4) The information regarding average loss in transmission and distribution system as determined by respective licensee.

**28. Redressal Mechanism**

(1) All disputes and complaints relating to open access shall be made to the State Load Despatch Centre, which may investigate and endeavour to resolve the grievance within 30 days; and

(2) Where SLDC is unable to resolve the grievance in the time period specified above, it shall be referred to the Commission.

**29. Powers to Remove Difficulties**

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by general or special order, direct the State Transmission Utility, State Load Dispatch Centre, licensees and the open access customer, to take such action, as may appear to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

**30.** These Regulations are made in English & translated into Hindi. In case of dispute, English version shall prevail.

By Order of the Commission

Secretary